सवा देवी आदि — बनाम गजानन्द आदि दु.न. 13/22

दिनांक	आज्ञा पत्र	
?.10.24	पत्रावली पेश। अपीलान्ट अपीलांट उप. वास्ते बहस दिनांक 3.12.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
3.12.24	पत्रावली पेश। अपीलान्ट अपीलांट उप. वास्ते बहस दिनांक 19.12.24 को पेश हो।	(हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
19.12.24	पत्रावली पेश। बहस अपीलांट सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7.1.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते
7-1-25	[illegible] दिनांक 8-1-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
8.1.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 13 / 2022

1 राधा देवी पत्नी कानाराम जाति जाट निवासी ग्राम धोलासरी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 संतोष देवी पत्नी श्री रामगोपाल कुमावत जाति कुमावत निवासी दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बजरंग लाल पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.02.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर उनवानी आवेदन पत्र राधादेवी बनाम बजरंग लाल आवेदन अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा संख्या 83 / 2021 जिसमें उक्त न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट का रिव्यु आवेदन अ. आदेश 47 नियम 01 सीपीसी दिनांक 21.02.2022 को स्वीकार कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दि. 26.07.2021 निरस्त किया गया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री कैलाश सोनी, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 8.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 83/2021 में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीया अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 प्रस्तुत कर ग्राम रामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 176, 177, 279, 281, 178, 179, 179/784, 174, 175, 280 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से काउंटर आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 26.07.2021 के आदेश से काउंटर आवेदन खारिज कर आगामी तिथि तक उभयपक्ष को खसरा नम्बर 179/784, 278/762 की मौके की यथास्थिति का अंतरिम स्थगन जारी किया। विचारण न्यायालय में इसके विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से रिव्यू आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 21.02.2022 के आदेश दिनांक 26.07.2021 को निरस्त करते हुए पत्रावली वास्ते अंतिम बहस नियत कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रार्थी अपीलांट की ओर से धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन अ.आदेश 47 नियम 1 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार किए जाने का मुख्य आधार यह लिया गया है कि खसरा नम्बर 278/762 के संबंध में ना तो दावा था, तथा ना ही आवेदन था तथा ना ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सत्यमेव जयते सीकर

वादी अपीलान्ट द्वारा उक्त खसरा नम्बर के विषय में कोई अनुतोष चाहा गया था। जबकि निर्विवादित रूप से उक्त खसरा नम्बर 278/762 के विषय में रेस्पोडेन्ट का काउण्टर आवेदन था, तथा काउण्टर आवेदन भी एज ए दावा ही टीट होता है, तथा विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.07.2021 दावा एवं काउण्टर आवेदन में दर्ज अभिवचनों के आधार पर ही विवादित आराजियात को दावा के निर्णय तक प्रिजर्व रखने हेतु पारित किया गया था। इस कारण विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 21.02.2022 स्थिर रहने योगय नहीं है। रिव्यू के आवेदन का स्कोप बहुत सीमित होता है, तथा केवल टंकणीय भूल आदि को सुधारा जा सकता है, या किसी ऐसी नई बात और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक तत्परता के प्रयोग के पश्चात भी उस समय पता नहीं चल सकी थी, पर रिव्यु का प्रयोग हो सकता है, परन्तु विचारण न्यायालय ने तो आदेश दिनांक 26.07.2021 को पूर्ण ही उलट कर अपील न्यायालय की शक्ति का प्रयोग कर अपने विवेकाधिकार का दुरूपयोग किया है। इसलिए निर्णय निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण प्रकरण का निस्तारण मात्र गांव की चौपाल पर निर्णय पारित किए जाते है उसके अनुसार कर दिया। विचारण न्यायालय ने मनमाना निर्णय पारित किया है जिससे निर्णय अपास्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों का तथा रिकोर्ड के विषय में कोई फाइडिंग नहीं दी तथा ना ही दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय महज कयासों के आधार पर आधारित होने से अपास्त होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व ... सत्यमेव जयते सीकर

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में प्रार्थीया अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 प्रस्तुत कर ग्राम रामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 176, 177, 279, 281, 178, 179, 179/784, 174, 175, 280 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से काउंटर आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 26.07.2021 के आदेश से काउंटर आवेदन खारिज कर आगामी तिथि तक उभयपक्ष को खसरा नम्बर 179/784, 278/762 की मौके की यथास्थिति का अंतरिम स्थगन जारी किया। विचारण न्यायालय में इसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से रिव्यू आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 21.02.2022 के आदेश दिनांक 26.07.2021 को निरस्त करते हुए पत्रावली वास्ते अंतिम बहस नियत कर दी। प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर धारा 212 का अंतिम निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 212 पर गुणावगुण पर अंतिम निर्णय नहीं कर स्वयं के द्वारा दिनांक 26.07.2021 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को विचाराधीन रिव्यू आदेश से खारिज किया है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। धारा 212 के अन्तिम निर्णय तक दिनांक 26.07.2021 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 21.02.2022 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उनके समक्ष लंबित आवेदन धारा 212 का अंतिम रूप से तत्परता से निस्तारण करें तब तक विचारण न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 26.07.2021 यथावत रहेगा। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2025 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 8.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील, प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर